"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर 2002—आश्विन 6, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग
वाणिज्यिक कर (आबकारी)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-86/2002/वाक (आब.)/पांच (104).—छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "गुरुदेव प्रोडक्शन, इन्दौर" द्वारा निर्मित फिल्म "हम हैं भारतवासी" के प्रदर्शन को उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) की प्रभावशीलता से प्रदेश के छविगृहों में 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए इस शर्त के साथ मुक्ति प्रदान करता है कि छविगृह स्वामी द्वारा उक्त दिनांक से पूर्व प्रचलित प्रवेश दर उतनी ही सीमा तक कम की जाय, जितनी राशि की छूट प्रदान की गई है.

2. यह छूट छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-86/2002/वाक (आब.)/पांच (104).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-86/2002/वाक (आब.)/पांच (104), दिनांक 28-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 28th September 2002

NOTIFICATION

No. F-10-86/2002/CT (Ex.)/V (104).—In exercise of powers conferred by Section 7 of the Chhattisgarh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) the State Government hereby exempts the exhibition of film "HUM HAIN BHARTWASI" produced by "Gurudeo Production, Indore" in the cinema halls of the state from operation of Section 3 (1) of the said Act for a period of 6 months (six months), subject to condition that the rate of admission prevailing prior to the issue of this Notification shall be reduced by the proprieter of the cinema to the extent of the exemption granted.

2. This exemption will be effective from the date of publication of this Notification in the Chhattisgarh Rajpatra.

By order and in the name of the Governor of the Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.